रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939
No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.नि. 233**(अ.)**— नियम का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986 (1986** का **29)** की धारा **6** और धारा **25** के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, **1986** के नियम **5** के उपनियम **(3)** के साथ पठित निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी लोगों की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; और

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-**110003** को या सीपीसीबी के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल पते अर्थात **mscb.cpcb@nic.in** और **h.kharkwal@nic.in** पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, **2018** है।

 (2) **ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।**

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, **1986** में अनुसूची-**I** में क्र.सं.-**74** के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

सारणी

1	2	3	4
"74	**ईंट भट्टे**	**बुल्स ट्रेन्च भट्टे, अभिप्रेरित/उच्च ड्राफ्ट भट्टे, हॉफमैन भट्टे, टनल, डाउन ड्राफ्ट भट्टे वर्टिकल शाफ्ट भट्टे (वीएसके) और जिगजैग**	
		चट्टा उत्सर्जन में धूलकण (पीएम)	250 मिग्रा/एनएम'
		चट्टे की न्यूनतम ऊँचाई (प्राकृतिक ड्राफ्ट भट्टों के लिए) - भट्टे की क्षमता 30,000 हजार ईंट प्रतिदिन से कम - भट्टे की क्षमता 30,000 हजार ईंट प्रतिदिन के बराबर या उससे अधिक	 27 मी. 30 मी.
		चट्टे की न्यूनतम ऊँचाई (अभिप्रेरित/उच्च ड्राफ्ट भट्टों के लिए) - भट्टे की क्षमता 30,000 हजार ईंट प्रतिदिन से कम - भट्टे की क्षमता 30,000 हजार ईंट प्रतिदिन के बराबर या उससे अधिक **टिप्पणियां:** 1. सभी नये ईंट भट्टों को ईंट निर्माण की केवल जिगजैग या लंबवत विधि की अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस अधिसूचना में निर्धारित नये मानकों का पालन करना होगा। 2. विद्यमान ईंट भट्टे, जो ईंट निर्माण की जिगजैग या लंबवत विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जिगजैग या लंबवत विधि अपनाने के लिए अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले शहरों के निकट अवस्थित भट्टों के मामले मे एक वर्ष की अवधि के भीतर और अन्य दोनों भट्टों के मामले मे दो वर्ष के भीतर परिवर्तित करना होगा। इसके अतीरिक्त ऐसे मामलों मे, जहां सी पी सी बी / एस पी सी बी / पी सी सी द्वारा परिवर्तन किए जाने के लिए समय सीमा अलग से निर्धारित की गयी है, ऐसे आदेश अभिभावी होंगे। 3. नये ईंट भट्टों को नये मानकों का पालन करने और धूल कण (पीएम) के मापदंडों का अनुपालन करने के लिए एक वर्ष के भीतर चट्टे की ऊँचाइयों को उपयुक्त बनाना होगा। 4. सभी ईंट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कोयला, जलावन लकड़ी और/या कृषि अवशिष्टों का प्रयोग करेगें। ईंट भट्टों में पेटकोक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. विद्यमान ईंट भट्टों को अच्छे ईंधन से युक्त करने / प्रचालन के तरीकों को अपनाकर धूलकणों के लिए नये मानकों का पालन करने के लिए एक वर्ष की मध्यवर्ती अवधि की अनुमति दी जाएगी। 6. ईंट भट्टे उज्सर्जनों की निगरानी के लिए सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों/डिजाइन के अनुरूप स्थायी सुविधा (पोर्टहोल और प्लेटफोर्म) का निर्माण करेंगे। 7. उत्सर्जन के नमूनें ईंधन चार्जिंग और नॉन-चार्जिंग दोनों ही दशाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। 8. धूल कण (पीएम) के परिणामों को 4% CO पर निम्न प्रकार से सामान्यकृत किया जाएगा; 9. पीएम (सामान्यीकृत) = PM (मापा गया) x 4% / मापी गयी CO,% में चट्टे की ऊँचाई (मीटरों में) का आकलन सूत्र H=14Q" के द्वारा भी किया जाएगा।	 24 मी. 27 मी.

		(जहां Q, किग्रा/घंटे में SO_2 की उत्सर्जन दर है) और इन दोनों में जो अधिकतम है वह लागू होगा। 10. यदि ईंट भट्टा न्यूनतम 50 मिमी. वाटर गॉज ड्राफ्ट के साथ प्रचालित होने वाले पंखे से युक्त है, तो उसे अभिप्रेरित/उच्च ड्राफ्ट भट्टा माना जाएगा। 11. ईंट भट्टों को बसावट और फल उद्यानों से न्यूनतम 0.8 किमी. की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। राज्य बोर्ड बसावट/जनसंख्या, घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील संग्राहकों इत्यादि से निकटता को ध्यान में रखते हुए स्थान संबंधी मानदंडों को कड़ा बना सकते हैं। 12. किसी क्षेत्र में भट्टों का समूहन न होने देने के लिए ईंट भट्टों को विद्यमान नियत चिमनी भट्टे से न्यूनतम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। 13. ईंट भट्टे संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उत्सर्जन नियंत्रण दिशानिदेशों का पालन करेंगे। 14. ईंट भट्टों में उत्पन्न राख का उपयोग पूरी तरह भट्टों में ईंट बनाने के लिए किया जाएगा। 15. ईंट भट्टे में ईंट निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ऊपरी मृदा के निष्कर्षण के लिए, संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के खनन विभाग सहित, संबद्ध प्राधिकरणों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएगीं। 16. ईंट भट्टों के स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्ची सामग्रियों/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सड़क पक्की हो और धूल रहित हो। 17. कच्ची सामग्री/ईंटों के परिवहन के दौरान ट्रकों को ढककर रखा जाएगा। 18. विद्यमान भट्टे, यदि इन नये मानकों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित हो, तो एक वर्ष के भीतर चट्टे की ऊँचाई को बढ़ायेंगे। "	

[फा. सं. ओ.क्यू-15017/35/2017-सीपीडब्ल्यू]

डा. सतीश चन्द्र गरकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. 844 (अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 96 (अ) दिनांक 29 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R.233.(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 is hereby published, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come intoforce on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for entry 74 the following entry shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"74	**Brick Kilns**	**Bull's Trench Kilns, Induced/High Draft Kiln, Hoffmann Kilns, Tunnel, down draft Kilns, Vertical Shaft Kilns (VSK) and Zig Zag.**	
		Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm'
		Minimum stack height (for Natural draft kilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	 27 m 30 m
		Minimum stack height (for Induced/High draft kilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	 24 m 27 m
		Notes: 1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag or vertical method of brick making and shall comply to the new standards as stipulated in this notification. 2. The existing brick kilns which are not following zig zag or vertical method of brick making shall be converted so as to adopt zig zag or vertical method within a period of one year in case of kilns located near non-attainment cities and two year for other both kilns. Further, in cases where CPCB/SPCB/PPC has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail. 3. The new brick kilns shall have appropriate stack heights to meet the new standards and comply with the norms for Particulate Matter (PM) within one year. 4. All brick kilns shall use only approved fuel such as coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke shall not be allowed in brick kilns. 5. In the intervening period of one year allowed to the existing brick kilns to complywith these new standards for Particulate Matter by adopting good fuel charging/operation practices. 6. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms/design laid down by the CPCB for monitoring of Emissions. 7. Emission sample shall represent both fuel charging and non-charging conditions. 8. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO, as below: 9. PM (normalized) = PM (measured) x 4% / measured CO, in% Stack height (in metre) shall also be calculated by formula H=l4Q'' (where Q is SO_2 emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply. 10. A brick kilns will be considered an Induced/High draft kiln if it has a fan operating with minimum 50mm water gauge draught. 11. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 km from habitation and fruit orchards. State Boards may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc. 12. Brick kilns should be established at a minimum distance of 1 km from an existing fixed chimney kiln to avoid clustering of kilns in an area. 13. Brick kilns shall follow process emission control guidelines as prescribed by concerned SPCBs/PCCs. 14. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making. 15. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State/UT shall be obtained for extracting the top soil to be used for brick making in the brick kiln. 16. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials/bricks shall be metaled roads and is dust free. 17. Trucks shall be covered during transportation of raw material/bricks. 18. The existing kilns shall increase stack height, if required, to meet these new standards within 1 year".	

[F.N.O. Q-15017/35/2017-CPW]
DR. SATISH CHANDRA GARKOTI, Scientist 'G'

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 96(E), dated the 29th January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.22 16:19:26 +05'30'